शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 287

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि सरकार की दिल्ली में टाउन वेडिंग कमेटियों को गठित करने की कोई योजना है;	**शहरी विकास (एम.बी)** दिल्ली पटरी विक्रेता(आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन)नियमावली–2017 की दिल्ली सरकार ने 10.01.2018 को अधिसूचित किया है कि नियम–12 के अनुसार टाऊन वेडिंग कमिटियों की गठित करने की योजना है।
ख	यदि हॉ, तो कब तक गठित हो जायेंगी;	**शहरी विकास (एम.बी)** टाऊन वेडिंग कमेटी गठित करने का कार्य स्थानीय निकायों का है और इसके बारे में उनको अवगत कर दिया गया है। इसलिए इस विषय में वांछित सूचना वही दे सकते हैं। **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** टाउन वैंडिंग कमेटी गठित करने का कार्य सूचीबद्व तैयार किया जा चुका है और प्रकिया समयबद्व पूरी की जा रही है ।
ग	यदि नहीं, उसको कियान्वित करने में क्या दिक्कतें हैं,	**शहरी विकास (एम.बी)** **'ख' के अनुसार।** **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** टाउन वैंडिंग कमेटी गठित करने का कार्य सूचीबद्व तैयार किया जा चुका है और प्रकिया समयबद्व पूरी की जा रही है ।
घ	क्या यह सत्य है कि सरकान ने चुनाव पूर्व वह वायदा किया था कि सरकार तीन महीने के अंदर रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आजीविका को पूर्ण संरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी;	**शहरी विकास (एम.बी)** कोई टिप्पणी नहीं है।
च	यदि हॉ, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है,	**शहरी विकास (एम.बी)** कोई टिप्पणी नहीं है।
छ	क्या सरकार वैंडिंग कमेटियों को लेकर अपनी तरफ से कोई पहल कर रही है, और	**शहरी विकास (एम.बी)** पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम–2014, के तहत दिल्ली पटरी विक्रेता(आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन)नियमावली–2017 जो कि दिल्ली सरकार ने 10.01.2018 को अधिसूचित किया है कि नियम–12 के अनुसार टाऊन वेडिंग कमिटियों की गठित करने की योजना है।
ज	सरकार इस बारे में कानून कब तक सदन पटल पर लाएगी?	**शहरी विकास (एम.बी)** कोई टिप्पणी नहीं है।

R.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat